क्या एक कातिल के पास हक है कि उसे लोग भूल जाये?

2008 में दो दोषी पाए गए हत्यारों ने जर्मन कानून के अनुसार विकिपीडिया और अन्य ऑनलाइन मीडिया के आउटलेट से अपने नाम हटाए जाने की मांग की। क्या व्यक्ति का हक कि उसे लोग भूल जाये जनता के जानने के अधिकार पर प्राथमिकता लेता है?

1993 में वोल्फगैंग वेरले और मैनफ्रेड लुबेर जर्मन अभिनेता वाल्टर सेदलमयर की हत्या के लिए दोषी

ठहराए गए और उन्होंने 14 और 15 साल जेल की सजा काटी। उनकी रिहाई पर, 2007 और 2008 में वेरले और लुबेर कई मीडिया के आउटलेट को अदालत ले गए, न केवल जर्मन डेर स्पीगेल लेकिन अंग्रेजी भाषा के विकिपीडिया को भी, क्योंकि उन्होंने लेख में इन दोनो के नाम का जिक्र किया था जिसमे इन्हें हत्यारों के रूप में वर्णित किया गया था। अंग्रेजी भाषा के विकिपीडिया ने इन दोनों के नाम को हटाने से इनकार कर दिया था क्योंकि यह विकिपीडिया के मीडिया की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता। यह कंपनी अमेरिका में आधारित है और इसलिए अमेरिका के संविधान के पहले संशोधन द्वारा संरक्षित है। जर्मन कानून उन कंपनियों पर लागू नहीं है जो कि उस देश में आधारित नहीं हैं।

जर्मनी में पहले उदाहरण में एक हैमबर्ग अदालत ने 2008 में इस बात पर सहमती दिखाई कि संग्रहीत लेख में इन दोनों का नामकरण वेरले और लुबर की गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है और उनके नाम हटाए जाने का आदेश दिया। एक 1973जर्मन अदालत के फैसले के तहत व्यक्तियों के पास यह हक है की अपने दंडात्मक सजा को पूरा करने के बाद उनकी प्रतिबिद्धता प्रतिविदित न हो। तत्पश्चात जर्मन विकिपीडिया संपादकों ने जर्मन विकिपीडिया से उनके नाम हटा दिए। परन्तु 2009 में जर्मन संवैधानिक न्यायालयने यह निर्णय उलट दिया इस आधार पर कि यह प्रेस की स्वतंत्रता के संवैधानिक गारंटी का प्रतिबिंध करता है और वेरले और लुबेर को एक निश्चित डिग्री तक अपनी गोपनीयता में घुसपैठ को स्वीकार करना होगा। यह निर्णय इस आधार पर लिया गया था कि सभी अभिलेखागार से जानकारी हटाना विकिपीडिया के लिए बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ होगा। इस निर्णय के बाद जर्मन विकिपीडिया पृष्ठ ने अपनी सामग्री में उनके नाम को पुनः स्थापित कर दिया।

प्रकाशित:November 16, 2012